



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052022-235720
CG-DL-E-11052022-235720

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334]
No. 334]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 11, 2022/वैशाख 21, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 2022/VAISAKHA 21, 1944

लोक सभा/ राज्य सभा सचिवालय
(संसद की सभाओं की संयुक्त समिति)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2022

कुटुंब पेंशन (दस्तावेज प्रस्तुत करना) संदाय नियम, 2021

सा.का.नि. 349(अ).—निम्नलिखित नियम, जो संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति द्वारा उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (डड) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार से परामर्श करने के पश्चात् बनाए गए हैं तथा राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और पुष्ट की गयी है, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा यथा अपेक्षित सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:-

कुटुंब पेंशन (दस्तावेज प्रस्तुत करना) संदाय नियम, 2021

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कुटुंब पेंशन (दस्तावेज प्रस्तुत करना) संदाय नियम, 2021 है

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) अभिप्रेत है;

(ख) "कुटुंब पेंशन" से अधिनियम के अंतर्गत मृतक सदस्य अथवा पूर्व संसद सदस्य के पति या पत्नी या उसके आश्रितों को संदेय राशि, यदि दावा की गई है, अभिप्रेत है;

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(घ) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है परंतु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का अर्थ क्रमशः अधिनियम में दिए गए अर्थ के अनुरूप होगा।

3. वर्तमान सदस्यों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करना- (1) वर्तमान संसद सदस्य संबंधित सदनों में अपना स्थान ग्रहण करने के तुरंत बाद उनके द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेजों को 8 क ग की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत करेंगे ताकि कुटुंब पेंशन के मामले में, जब कभी आवेदन किया जाये, प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके-

(क) इन नियमों में उपबंध क के अनुसार, यथास्थिति, पति या पत्नी अथवा आश्रितों के चार फोटोग्राफ और चार नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान;

(ख) कुटुंब के सदस्यों का विवरण, इन नियमों से उपबंध ख के अनुसार संलग्न प्रोफार्मा में दिए जाएँ।

(2) संसद सदस्य उप-नियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति की परिस्थिति में किसी परिवर्तन के बारे में, शीघ्र ही लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय को सूचित करेंगे।

4. भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करना- (1) भूतपूर्व संसद सदस्य पेंशन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय, पति या पत्नी अथवा आश्रित के इन नियमों के, जो कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हैं, जब कभी भी आवेदन किया जाये, धारा 8 क ग का उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार स्वयं भूतपूर्व संसद सदस्य द्वारा सम्यक रूप में अनुप्रमाणित चार फोटोग्राफ और चार नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान सहित इन नियमों से उपबंध ख के अनुसार संलग्न प्रोफार्मा में कुटुंब के सदस्यों और आश्रितों के व्योरे प्रस्तुत करें।

(2) पेंशन के लिए आवेदन उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसार चार फोटोग्राफ और चार नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र क में प्रस्तुत करेंगे।

(3) भूतपूर्व संसद सदस्य उप-नियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति की परिस्थिति में किसी परिवर्तन के बारे में, शीघ्र ही लोक सभा सचिवालय या राज्य सभा सचिवालय को सूचित करेंगे।

5. संसद सदस्य के पति या पत्नी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करना- (1) संसद सदस्य के पति या पत्नी, कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन करते समय उस क्षेत्र के नगरपालिका प्राधिकारी या स्थानीय पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के अतिरिक्त निम्नलिखित भी प्रस्तुत करेंगे -

(क) लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय द्वारा जारी भूतपूर्व संसद सदस्य का पहचान पत्र (मूल) और यदि मूल पहचान पत्र खो जाता है या नहीं मिलता है या पता नहीं चलता है, तो दावेदार द्वारा भूतपूर्व संसद सदस्य के पहचान पत्र के खो जाने के संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा;

(ख) वर्तमान संसद सदस्य या भूतपूर्व संसद सदस्य पर निर्भरता के कारणों को दर्शाने वाला शपथ पत्र;

(ग) प्रथम या द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप में प्रमाणित क्षतिपूर्ति बांड; तथा

(घ) विवाह प्रमाण पत्र और यदि वह उपलब्ध नहीं है तो नियम 3 का उपनियम (1) खंड (ख) या नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन यथा अपेक्षित वर्तमान संसद सदस्य या भूतपूर्व संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत जानकारी में कोई अंतर की दशा में प्रथम या द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र ख में प्रस्तुत करेंगे।

6. सदस्य के आश्रितों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करना - (1) आश्रित, कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन करते समय उस क्षेत्र के नगरपालिका प्राधिकारी या स्थानीय पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के अतिरिक्त निम्नलिखित भी प्रस्तुत करेगा-

(क) प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक का शपथ पत्र कि वह अभी भी एक आश्रित है जिसके विफल रहने पर, उनकी कुटुंब पेंशन बंद कर दी जाएगी या रोक दी जाएगी;

(ख) प्रथम या द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र;

(ग) लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय द्वारा जारी भूतपूर्व संसद सदस्यों का पहचान पत्र (मूल) और यदि मूल पहचान पत्र खो जाता है या नहीं मिलता है या पता नहीं चलता है, तो दावेदार द्वारा भूतपूर्व संसद सदस्य के पहचान पत्र के खो जाने के संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा; तथा

(घ) प्रथम/द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप में प्रमाणित क्षतिपूर्ति बांड।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र बी में प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुलग्नक क
[नियम 3 (1) (ए)]
पति या पत्नी या आश्रितों के नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
Annexure A
[Rule 3 (1) (a)]
Specimen Signature/Thumb Impression of Spouse or dependents

1. नाम/Name.....

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर

Signature of spouse/dependent

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

Tick whichever is applicable)

अंगूठे का निशान /Thumb impression

PHOTO

Attested by MP

2. नाम/Name.....

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर

Signature of spouse/dependent

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

Tick whichever is applicable)

अंगूठे का निशान /Thumb impression

PHOTO

Attested by MP

3. नाम/Name.....

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर

Signature of spouse/dependent

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

Tick whichever is applicable)

अंगूठे का निशान /Thumb impression

PHOTO

Attested by MP

4. नाम/Name.....

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर

Signature of spouse/dependent

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

Tick whichever is applicable)

अंगूठे का निशान /Thumb impression

PHOTO

Attested by MP

अनुलग्नक ख
Annexure B[नियम 3 (1) (बी) और 4(1)]
[Rule 3 (1) (b) and 4(1)]कुटुंब के सदस्यों का विवरण
(दो प्रतियों में भरा जाना है)
Details of Family Members
(to be filled in duplicate)

मैं, श्रीमती/श्री/डॉ. _____,

राज्य सभा/लोक सभा के सदस्य/पूर्व सदस्य एतद्वारा मेरे पति/पत्नी/आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण प्रस्तुत करते हैं जो मेरी मृत्यु

की स्थिति में संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 के संदर्भ में संसदीय कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं:

I, Smt./Shri/Dr. _____,

Member/Ex-Member of Rajya Sabha/Lok Sabha hereby furnish the details of my spouse/dependant family members who are eligible to receive parliamentary family pension in terms of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 in the event of my death:

Sl. No. क्र. सं.	Name and complete address of family members कुटुंब के सदस्यों का नाम और पूरा पता	Relationship with members सदस्यों के साथ संबंध	Date of birth जन्म की तारीख	Whether physically handicapped* क्या शारीरिक रूप से विकलांग*
01.				
02.				
03.				

*If the dependant family member is handicapped/infirm, appropriate medical certificate should be attached.

*यदि कुटुंब का आश्रित सदस्य विकलांग/अशक्त है तो उपयुक्त चिकित्सा प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

इस पर हस्ताक्षर 20 ____ (वर्ष) के ____ (माह) के ____ (दिन) किए।

Signed this ____ (day) of ____ (Month) of 20 ____ (year).

सदस्य/पूर्व सदस्य के हस्ताक्षर

Signature of the Member/Ex-Member

सदस्य/पूर्व सदस्य का नाम:-----

Name of the Member/Ex-Member:_____

पता:/Address:_____

पिन/PIN_____

फोन/मोबाइल/ Phone/Mobile:_____

ईमेल आईडी:/Email Id-----

Note: All the above information is mandatory.

नोट: उपरोक्त सभी जानकारी अनिवार्य है।

प्रपत्र क

[नियम 4(2) देखें]

Form A

[See rule 4(2)]

पेंशन के लिए आवेदन

APPLICATION FOR PENSION

(देखें संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 8ए यथासंशोधित)

(See Section 8A of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, as amended)

(पूर्व संसद सदस्य द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है)

(to be submitted in duplicate by the Ex-Member of Parliament)

प्रेषक

डॉ./श्रीमती/श्री/ कुमारी.

लोकसभा/राज्य सभा/अनंतिम संसद के पूर्व सदस्य

(यहां पिछली बार सेवित सभा का उल्लेख करें)

.....

From

Dr./Smt/Shri/Km.

Ex-Member of LOK SABHA/RAJYA SABHA/PROVISIONAL PARLIAMENT

(here mention the House last served)

प्रति

महासचिव

राज्य सभा/लोकसभा

संसद भवन,

नई दिल्ली।

To

The Secretary-General

Rajya Sabha /Lok Sabha

Parliament House

New Delhi.

विषय: संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 यथा संशोधित, के तहत पेंशन की मंजूरी,।

Subject: Sanction of Pension under the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 as amended.

महोदय,

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 8क के अनुसार, मैं निम्नलिखित अवधियों के संबंध में पेंशन का हकदार हूँ, जो मेरे द्वारा के सदस्य के रूप में पूरी की गई हैं

Sir,

In terms of Section 8A of the above-mentioned Act, I am entitled to Pension in respect of the following periods served by me as a Member of.....

- (i) संविधान की शुरुआत से ठीक पहले भारत के डोमिनियन की संविधान सभा के रूप में कार्य करने वाले निकाय की अनंतिम संसद के सदस्य सदस्यता सहित।
- (ii) राज्यों की परिषद (राज्य सभा) के सदस्य
- (iii) लोक सभा के सदस्य (लोकसभा)
- (i) Member of Provisional Parliament including membership of the body which functioned as Constituent Assembly of the Dominion of India immediately before the commencement of the Constitution.
- (ii) Member of Council of States (Rajya Sabha)
- (iii) Member of House of People (Lok Sabha)

2. अनुरोध है कि कृपया मुझे पेंशन स्वीकृत करने के लिए कदम उठाए जाएं। मैं अपनी पेंशन बैंक (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम)..... शाखा पर..... (बैंक का पता) और मेरा बैंक खाता संख्या है)..... (बैंक का बीएसआर कोड) (आईएफएससी कोड) से आहरित करना चाहता हूँ।

It is requested that steps may kindly be taken to sanction Pension to me. I desire to draw my Pension from Bank (name of any nationalised Bank)..... Branch at..... (Address of Bank) and my Bank Account Number is..... BSR code..... IFSC Code.....

3. मैं इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को एक प्रथम / द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित वर्ग I अधिकारी / संसद के एक मौजूदा सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर संलग्न करता हूँ:

- (i) चार नमूना हस्ताक्षर।
- (ii) चार पासपोर्ट आकार में नवीनतम फोटोग्राफ (फोटोग्राफ के सामने की ओर अनुप्रमाणन)।

I enclose herewith the following documents duly attested by a Ist Class/ 2nd Class Magistrate, Class I Officer belonging to the Central Government or a State government/a sitting Member of Parliament:

- (i) Four specimen signatures.
 - (ii) Four copies of latest photographs in Passport size (attestation on the front of the Photograph).
- 3क. मैं इसके साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा विधिवत सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न करता हूँ:-
निर्धारित प्रोफार्मा में के सदस्यों/आश्रितों का विवरण, चार तस्वीरें और चार नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, पति या पत्नी या आश्रित (संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 2 (कक) के अनुसार) के रूप में मामला हो सकता है, जो एमएसए अधिनियम, 1954 की धारा 8कग (2) के प्रावधानों के अनुसार कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो सकता है, यदि आवेदन किया जाता है।

- 3A. I also enclose herewith the following documents duly attested by the undersigned:-
Details of Family members/Dependents in prescribed proforma, Four photographs and Four specimen signatures or thumb impression, of the spouse or dependent (as per Section 2 (aa) of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954) as the case may be, who may be eligible for family pension, if applied for, as per the provisions of Section 8AC (2) of MSA Act, 1954.

4. मेरा वर्तमान पता

.....

फ़ोन मोबाइल ईमेल आईडी

मेरा स्थायी पता

.....

4. My present address is

.....

....

My permanent address is

.....

Phone no.....Mobile no.....Email ID

5. मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ:-

5. I hereby *declare that:-

(i) मैं राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल या किसी भी राज्य क्षेत्र के प्रशासक के निर्वाचित कार्यालय को नहीं संभाल रहा हूँ;

(i) I am not holding the elected office of the President or the Vice-President or the office of the Governor of any State or the Administrator of any Union Territory;

(ii) मैं राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की किसी विधान सभा या किसी राज्य की किसी विधान परिषद का सदस्य नहीं हूँ;

(ii) I am not a member of Rajya Sabha or Lok Sabha or any Legislative Assembly of a State or Union Territory or any Legislative Council of a State;

(iii) मैं केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम के तहत वेतन पर कार्यरत नहीं हूँ या मैं ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकरण से किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं हूँ ;

(iii) I am not employed on a salary under the Central government or any State Government or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any Local Authority or I am not otherwise entitled to any remuneration from such Government or Corporation or Local Authority;

(iv) मैं का पद धारण कर रहा हूँ या के सदस्य या के रूप में कार्यरत हूँ या में और मेरे द्वारा प्राप्त कुल पारिश्रमिक रु. प्रति माह है।

(iv) I am holding the office of or Member of or employed as or in and the total remuneration received by me is Rs. per month.

(v) मैं का पद धारण कर रहा था या का सदस्य था या के रूप में कार्यरत था में और मेरे द्वारा प्राप्त कुल पारिश्रमिक रु. प्रति माह था दिनांक से तक (यदि कार्यकाल की समाप्ति और पेंशन के लिए आवेदन जमा करने के बीच अंतर है तो भरा जाना है)

(v) I was holding the office of or Member of or employed as.....in.....and the total remuneration received by me was Rs.....p.m. from the date.....to.....(to be filled up if there is a gap between end of term and submission of application for pension)

(vi) पति / पत्नी/ आश्रित की स्थिति में किसी भी परिवर्तन के मामले में, मैं तुरंत लोकसभा/ राज्य सभा सचिवालय को सूचित करूंगा।

(vi) In case of any change in the status of spouse/dependent, I shall intimate immediately to Lok Sabha/ Rajya Sabha Secretariat.

जो घोषणाएं लागू न हों उन्हें स्याही से काट दिया जाए।

- The declarations which are not applicable may be scored out in ink.

भवदीय,

.....
पूर्व सांसद के हस्ताक्षर

नाम बड़ा अक्षर में:

.....

स्थान:.....

दिनांक:

Yours faithfully,

.....
Signature of Ex-MP

NAME IN BLOCK LETTERS:

.....

STATION:.....

DATE:.....

लोकसभा/राज्य सभा सचिवालय में उपयोग के लिए
For the use in the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat

एमएसए शाखा, लोकसभा सचिवालय/MSA Branch, Lok Sabha Secretariat

एमएसए शाखा, राज्य सभा सचिवालय/ MSA Branch, Rajya Sabha Secretariat

अवर सचिव (टेबल ऑफिस), लोकसभा सचिवालय/अवर सचिव (टेबल ऑफिस, राज्य सभा सचिवालय, को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया।

Forwarded to the Under Secretary (Table Office), Lok Sabha Secretariat/ Under Secretary (Table Office), Rajya Sabha Secretariat, for further necessary action.

अवर सचिव/Under Secretary

टेबल ऑफिस, लोकसभा सचिवालय
Table Office, Lok Sabha Secretariat

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी/ डॉ..... निम्नलिखित अवधि के दौरान लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया:

Certified that Shri/Smt./Km/Dr.....(in block letters) served as a Member of Lok Sabha during the following period:

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

अवर सचिव, लोकसभा सचिवालय
Under Secretary, Lok Sabha Secretariat

टेबल ऑफिस, राज्य सभा सचिवालय
Table Office, Rajya Sabha Secretariat

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी/ डॉ..... निम्नलिखित अवधि के दौरान राज्य सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया :
Certified that Shri/Smt./Km/Dr.....(in block letters) served as a Member of Rajya Sabha during the following period:

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

अवर सचिव, राज्य सभा सचिवालय
Under Secretary, Rajya Sabha Secretariat

एमएसए शाखा, लोकसभा सचिवालय/MSA Branch, Lok Sabha Secretariat
एमएसए शाखा, राज्य सभा सचिवालय/ MSA Branch, Rajya Sabha Secretariat

एमएसए शाखा, लोकसभा सचिवालय/MSA Branch, Lok Sabha Secretariat
एमएसए शाखा, राज्य सभा सचिवालय/ MSA Branch, Rajya Sabha Secretariat

पीएफ सं..... दिनांक.....
P.F No. Dated the.....

श्री/श्रीमती/कुमारी/ डॉ..... इस तिथि
से..... पेंशन
..... (रुपये
..... केवल) प्रति माह के लिए स्वीकृत है।
आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए वेतन एवं लेखा अधिकारी, लोकसभा/राज्य सभा को अग्रेषित किया गया।
A Pension of

(Rupees.....only) per mensem is sanctioned to

Shri/Smt./Km/Dr.....with effect from.....

Forwarded to Pay and Accounts Officer, Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat for further necessary action.

हस्ताक्षर/Signature
स्वीकृति प्राधिकरण/ Sanction Authority
पद/ Designation

नमूना हस्ताक्षर
SPECIMEN SIGNATURE

(1) NAME EX-MP, RAJYA SABHA/LOKSABHA

(1) नाम पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोकसभा

SIGNATURE

हस्ताक्षर

Attested

अनुप्रमाणित

Name and Seal of Attesting Authority

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(2) NAME EX-MP, RAJYA SABHA/LOKSABHA

(2) नाम पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोकसभा

SIGNATURE

हस्ताक्षर

Attested

अनुप्रमाणित

Name and Seal of Attesting Authority

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(3) NAME EX-MP, RAJYA SABHA/LOKSABHA

(3) नाम पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोकसभा

SIGNATURE

हस्ताक्षर

Attested

अनुप्रमाणित

Name and Seal of Attesting Authority

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(4) NAME EX-MP, RAJYA SABHA/LOKSABHA

(4) नाम पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोकसभा

SIGNATURE

हस्ताक्षर

Attested

अनुप्रमाणित

Name and Seal of Attesting Authority

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय में पेंशन के पुनरीक्षण के प्रयोजन से भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा भरा जाने वाला आवेदन/ *Application to be filled-in by ex-MP for the purpose of revision of pension in Lok Sabha Secretariat/ Rajya Sabha Secretariat*)

प्रेषक/From:.....

.....

.....

(भूतपूर्व संसद सदस्य का नाम और पता/Name and address of ex-MP)

संपर्क सं (मोबाइल सं) और ईमेल आईडी :

Contact No. (Mob. No.) & email I.D.....

प्रति,

उप सचिव (एमएसए),
लोकसभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय,
संसद भवन अनुबंध,
नई दिल्ली-110001

To,

The Deputy Secretary (MSA),
Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat,
Parliament House Annexe,
New Delhi-110001

विषय: पेंशन में संशोधन।

Subject: Revision of Pension.

सर/मैडम,

Sir/Madam,

मैं राज्य सभा/लोकसभा का सदस्य था जो निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था और राज्यसभा/लोकसभा सचिवालय से के माध्यम से पूर्व-सांसद पेंशन स्वीकृत किया गया था..... (बैंक का नाम और पता).....(बैंक का बीएसआर कोड) (आईएफएससी कोड) और मेरा आधार नंबर है और पैन(प्रतियां संलग्न) है। मेरी पेंशन को अब संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 में किए गए नवीनतम संशोधन के अनुसार संशोधित किया जाये।

I was a Member of Rajya Sabha/Lok Sabha representing.....Constituency and was sanctioned ex-MP pension from Rajya Sabha/Lok Sabha Secretariat through (Name and address of Bank).....(BSR Code of the bank)(IFSC Code) and my Aadhar No. is and PAN is(copies enclosed).

My pension may now be revised as per the latest amendment made in the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954.

भवदीय,

(.....)

पूर्व सांसद का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक:.....

स्थान:.....

Yours faithfully,

(.....)

Name and Signature of ex-MP

Date:.....

Place:.....

घोषणा

DECLARATION

मैं घोषणा करता हूँ कि

I declare that:

- (i) मैं राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त नहीं हुआ हूँ; या
I am not elected to the office of the President/Vice President or appointed to the office of the Governor of any State or Administrator of any Union Territory; or
- (ii) मैं दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 3 के तहत गठित लोक सभा (लोकसभा) या राज्यों की परिषद (राज्य सभा), किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद या दिल्ली की महानगर परिषद का सदस्य नहीं हूँ, या
I am not a member of House of the People (Lok Sabha) or Council of States (Rajya Sabha), any Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Metropolitan Council of Delhi constituted under Section 3 of Delhi Administration Act, 1966, or
- (iii) मैं केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी भी निगम के तहत वेतन पर कार्यरत नहीं हूँ या मैं ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकारी से किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं हूँ; या
I am not employed on Salary under the Central Government or any State Government or any corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any Local Authority or I am not otherwise entitled to any remuneration from such Government or Corporation or Local Authority; or
- (iv) मुझे केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी स्थानीय प्राधिकरण/निगम से कोई पेंशन नहीं मिल रही है;
I am not in receipt of any pension from Central Government/State Government/any Local Authority/Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government;
- (v) जैसा कि क्रमांक में उल्लेख किया गया है, मैंने कोई कार्यालय नहीं संभाला है। संख्या (i) से (iii) ऊपर, चूंकि मेरी पेंशन पिछली बार संशोधित/स्वीकृत की गई थी
I have not been holding any of the offices, as mentioned in sl. Nos. (i) to (iii) above, since my pension was last revised/sanctioned.

या

OR

(ए) मैं के सदस्य का पद धारण कर रहा/ रही हूँ/था के रूप में कार्यरत हूँ। और मेरे द्वारा प्राप्त कुल वेतन/पारिश्रमिक रु.....प्रति माह है।

(बी) मुझे प्रति माह पूर्व सांसद पेंशन/पारिवारिक पेंशन/..... से पेंशन आहरण के रूप में रुपये की प्राप्ति हो रही है।

स्थान _____
दिनांक _____

(_____)
पेंशनभोगी के हस्ताक्षर
नाम (बड़े अक्षर में)
पता _____

(a) I am/was holding the office of of Member of.....or employed as.....in*.....w.e.f.....and the total salary/remuneration received by me is Rs.....per month.

(b) I am in receipt of Rs. per month as ex-MP pension/family pension/.....pension drawing from*.....

(_____)

Pensioner's Signature

Name (in capital letter).....

STATION _____

ADDRESS _____

DATE _____

* यहाँ केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम के कार्यालय के नाम का उल्लेख करें।

*Here mention the name of office of the Central Government/State Government/Local Authority/Corporation owned or controlled by the Central Government or State Government.

[नियम 3 (1) (ए)]

पति या पत्नी या आश्रितों के नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

[Rule 3 (1) (a)]

Specimen Signature/Thumb Impression of Spouse or dependents

1. नाम/Name.....

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर

Signature of spouse/dependent

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

Tick whichever is applicable)

अंगूठे का निशान /Thumb impression

PHOTO

Attested by MP/Ex-MP

2. नाम/Name.....

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर

Signature of spouse/dependent

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

Tick whichever is applicable)

अंगूठे का निशान /Thumb impression

PHOTO

Attested by MP/Ex-MP

3. नाम/Name.....

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर

Signature of spouse/dependent

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

Tick whichever is applicable)

अंगूठे का निशान /Thumb impression

PHOTO

Attested by MP/Ex-MP

4. नाम/Name.....

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर

Signature of spouse/dependent

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

Tick whichever is applicable)

अंगूठे का निशान /Thumb impression

PHOTO

Attested by MP/Ex-MP

प्रपत्र ख

Form B

(See rules 5(2) and 6(2))

(नियम 5(2) और 6(2) देखें)

लोक सभा/ राज्य सभा सचिवालय

LOK SABHA/ RAJYA SABHA SECRETARIAT

कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन

APPLICATION FOR FAMILY PENSION

(संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 यथासंशोधित की धारा 8कग देखें)

(See Section 8AC of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, as amended)

(दिवंगत संसद -सदस्य/ पूर्व संसद सदस्य* के जीवनसाथी/आश्रित द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है)

(to be submitted in duplicate by the Spouse/Dependant of deceased member of parliament/former member of parliament*)

प्रेषक/From

श्री/श्रीमती/कुमारी/ डॉ./Shri/Smt/ Km./Dr. _____

सेवा मे/ To

महासचिव/The Secretary-General

लोक सभा/ राज्य सभा /Lok Sabha/Rajya Sabha

संसद भवन/Parliament House

नई दिल्ली/New Delhi

विषय: संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन कुटुंब पेंशन की स्वीकृति.

Subject: Sanction of family pension under the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954.

महोदय/Sir,

निवेदन है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी/ डॉ. _____ (मृतक सांसद/पूर्व सांसद

का नाम) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अंतिम संसद/लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य थे:

I am to state that Shri/Smt./Km./Dr. _____ (Name of deceased

MP/Ex-MP) was a member of Provisional Parliament/Lok Sabha/Rajya Sabha as per details furnished below:

Sl. No.	सदस्यता की अवधि Period of membership	निर्वाचन क्षेत्र का नाम Name of Constituency	राज्य State	से From	तक To
(i)	अंतिम संसद Provisional Parliament				
(ii)	राज्य सभा सदस्य Member of the Council of States (Rajya Sabha)				
(iii)	लोक सभा सदस्य Member of the House of People (Lok Sabha)				

2. जहां दिवंगत सांसद/पूर्व संसद सदस्य अंतिम बार किसके सदस्य थे?

Where the deceased Member of Parliament/former Member of Parliament last served?

.....

(अनंतिम संसद/ लोक सभा/ राज्य सभा/Provisional Parliament/Lok Sabha/Rajya Sabha)

* अनंतिम संसद के पूर्व संसद सदस्य सहित includes ex-Member of Parliament of Provisional Parliament

3. श्री/श्रीमती/ कुमारी/ डॉ. /Shri/Smt./Km./Dr.....

(दिवंगत सांसद/पूर्व संसद सदस्य का नाम /name of deceased member/former member)

दिनांक को निधन हो गया था

had expired on dated.....

(सांसद/पूर्व संसद सदस्य के निधन दिनांक/ Date of death of MP/Ex-MP)

4. मृतक सांसद/पूर्व सांसद के जीवित विधवा/विधुर और बच्चों और आश्रितों का विवरण निम्नानुसार है

The details of surviving widow/widower and children and dependants of the deceased Member of Parliament/ex-Member of Parliament are as under:

क्र. सं. Sl. No.	नाम Name	मृतक संसद सदस्य/पूर्व सांसद के साथ संबंध Relationship with the deceased Member of Parliament/former Member of Parliament	ईस्वी सन् द्वारा जन्म तिथि Date of birth by Christian era
(i)			
(ii)			
(iii)			
(iv)			
(v)			
(vi)			

5. श्री/श्रीमती/ कुमारी/ डॉ.

दिवंगत सांसद/पूर्व संसद सदस्य

Shri/Smt./Km./Dr....., deceased MP/Ex-MP was

मेरे.....

My.....

(कृपया मृतक सांसद/पूर्व सांसद के साथ संबंध का उल्लेख करें और विवाह प्रमाण पत्र या सीजीएचएस कार्ड या मतदाता पहचान पत्र की एक प्रति और/या मृत सांसद/पूर्व सांसद के साथ संबंध के संबंध में जिला अधिकारियों से रिपोर्ट संलग्न करें। यदि कुटुंब के सदस्यों/आश्रितों के विवरण में कोई भिन्नता है तो सदस्य/ पूर्व सदस्य के आश्रित रिपोर्ट संलग्न करें।

Please mention relationship with the deceased MP/ex-MP and also attach a copy of the marriage certificate or CGHS Card or Voter I-Card and/or report from district authorities with regard to the relationship with the deceased MP/ex-MP is to be attached in case of any variation from the details of Family Members/Dependants furnished by the Member/Ex-Member)

श्री/श्रीमती/ कुमारी/ डॉ. का एकमात्र और कानूनी जीवनसाथी/उत्तराधिकारी होने के नाते उनके दुःखद निधन के कारण, मैं संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन की धारा 8एसी के अधीन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार हूँ (जैसा कि 15.9.2006 को संशोधित किया गया)।

Being the only and legal spouse/heir dependant of Shri/Smt./Km./Dr..... after his/her sad demise, I am entitled to receive family pension under section 8AC of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament, 1954 (as amended on 15.9.2006).

6. आश्रित के अवयस्क होने की दशा में

In case of minor dependent:

(a) अभिभावक का नाम

name of the guardian:

(b) अभिभावक की जन्म तिथि

date of birth of the guardian:.....

(c) दिवंगत सांसद/पूर्व सांसद के साथ संबंध

relationship with the deceased MP/Ex-MP:.....

(उचित न्यायालय द्वारा जारी संरक्षकता प्रमाणपत्र और क्षतिपूर्ति बांड संलग्न करें/

Attach Guardianship Certificate and Indemnity Bond duly issued by the appropriate court of Law)

7. यदि आवेदक विधवा/विधुर है तो पति/पत्नी की मृत्यु की तिथि से प्रदत्त सेवा पेंशन की राशि ।

If the applicant is a widow/widower, Whether she/he is in receipt of any other pension/family pension on the date of death of the husband /wife and if so, the details thereof.

8. आवेदक का स्थायी पता

Permanent Address of the applicant:

(निवास का प्रमाण संलग्न करें

Attach proof of residence)

9. संपर्क के लिए पता:

Address for Communication

(राज्य और पिन कोड सहित

including state and Pin code)

10. अनुरोध है कि कृपया मुझे पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के लिए कदम उठाने की कृपा करें। मैं अपनी पेंशन

..... से आहरित करना चाहता हूँ।

..... बैंक (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम और पता)। मेरा बैंक खाता संख्या बीएसआर कोड..... आईएफएससी कोड..... है।

It is requested that steps may kindly be taken to sanction family pension to me. I would like to draw my pension from

..... Bank (name and address of any nationalised Bank). My Bank Account No. is

.....BSR Code.....IFSC Code.....

11. मैं एतद्वारा *घोषणा करता हूँ कि

I hereby *declare that:-

(i) मैं मृतक संसद सदस्य/पूर्व संसद सदस्य का एकमात्र और कानूनी जीवनसाथी हूँ। इस आशय का एक हलफनामा और मृतक सांसद/पूर्व सांसद के साथ विवाह का प्रमाण संलग्न है

I am the only and legal spouse of the deceased Member of Parliament/former Member of Parliament. An affidavit to this effect and proof of marriage with the deceased MP/Ex-MP is enclosed.

(ii) श्री/श्रीमती/ कुमारी/ डॉ. का जीवनसाथी जीवित नहीं है और मैं मृतक सांसद/पूर्व सांसद का पूर्ण/आंशिक रूप से आश्रित हूँ।

The spouse of Shri/Smt./Km/Dr..... is not alive and I am wholly/partly dependant of the deceased MP/Ex-MP.

(iii) मैं न तो वर्तमान संसद सदस्य हूँ और न ही पूर्व संसद सदस्य के रूप में पेंशन प्राप्त कर रहा हूँ।

I am neither a sitting Member of Parliament nor drawing pension as a former Member of Parliament.

(iv) मैं संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम के अधीन न तो आहरण कर रहा हूँ और न ही कोई अन्य पेंशन लेने का हकदार हूँ।

I am neither drawing nor entitled to draw any other pension under the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act.

जो लागू न हो उसे काट दें Strike out whichever is not applicable .

12. मैं एतद्वारा निम्नलिखित दस्तावेज अग्रेषित कर रहा हूँ:-

I forward herewith the following documents:

- (i) नगरपालिका प्राधिकरण या क्षेत्र की स्थानीय पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र;
Death Certificate issued by the Municipal Authority or the local Panchayat of the area;
- (ii) मृतक सांसद/पूर्व सांसद के साथ संबंध का प्रमाण और सांसद/पूर्व सांसद पर निर्भरता के कारणों को दर्शाने वाला हलफनामा; विवाह प्रमाण पत्र और यदि उपलब्ध नहीं है, तो प्रथम/द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र; और लोक सभा सचिवालय द्वारा जारी पूर्व-सांसद पहचान पत्र (मूल रूप में) (हलफनामा, मूल पहचान पत्र खो जाने / गुम होने की स्थिति में)।
Affidavit showing reasons of dependency on the MP/Ex-MP in case of any variation from the detail of family members/dependents furnished by the Member/Ex-Member; proof of relationship with the deceased MP/Ex-MP, the marriage certificate and if not available, succession certificate issued by first/second class Magistrate; and Ex-MP Identity card (in original) issued by Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat (affidavit, in case the original Identity Card is lost/misplaced).
- (iii) चार नमूना हस्ताक्षर; (प्रथम श्रेणी / द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य द्वारा विधिवत सत्यापित आवेदन पत्र के साथ संलग्न शीट पर प्रस्तुत किया जाना है)
Four specimen signatures (to be furnished on the sheets attached with the application form duly attested by a First Class /Second Class Magistrate or a 1st class Gazetted Officer or a Member of Parliament)
- (iv) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य द्वारा विधिवत सत्यापित निवास का प्रमाण (राशन कार्ड / चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / नवीनतम बिजली बिल / टेलीफोन बिल);
Proof of residence duly attested by a First Class Magistrate/Second Class Magistrate or a 1st class Gazetted Officer or a Member of Parliament (Ration Card/Voter Identity Card issued by Election Commission/ Passport/ Driving License/latest Electricity Bill/ Telephone Bill)
- (v) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/ द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य द्वारा सत्यापित आवेदक के पासपोर्ट आकार के फोटो की चार प्रतियां;
Four copies of passport size photograph of the applicant attested by a First Class /Second Class Magistrate or a 1st class Gazetted Officer or a Member of Parliament;
- (vi) आवेदक के बाएं या दाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों के निशान वाली दो पर्चियां प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/ द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य द्वारा सत्यापित;
Two slips each bearing left or right hand thumb and finger impressions of the applicant attested by a First Class Magistrate/Second Class Magistrate or a 1st class Gazetted Officer or a Member of Parliament;
- (vii) आवेदक का विवरणात्मक रोल, विधिवत सत्यापित, (ए) ऊंचाई और (बी) व्यक्तिगत अंक, यदि कोई हो, हाथ, चेहरे, आदि पर इंगित करता है। (डुप्लिकेट में) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/ द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य द्वारा सत्यापित;
(कुछ विशिष्ट चिह्न निर्दिष्ट करें, दो से कम नहीं)
Descriptive Roll of the applicant, duly attested, indicating (a) height and (b) personal marks, if any, on the hand, face, etc. (in duplicate) attested by a First Class /Second Class Magistrate or a 1st class Gazetted Officer or a Member of Parliament;
(Specify a few conspicuous marks, not less than two)
- (viii) यदि आश्रित है तो वेतन, भत्ते और संसद अधिनियम, 1954 की धारा 2 के खंड (एए) के अर्थ के भीतर निर्भरता दिखाने के लिए एक हलफनामा * प्रस्तुत किया जाना है और लोक सभा/ राज्य सभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए पूर्व सांसद का पहचान पत्र (मूल पहचान पत्र खो जाने / गुम हो जाने की स्थिति में हलफनामा)
An affidavit* in case of dependent is to be submitted to show the dependency within the meaning of clause (aa) of Section 2 of the Salary, Allowances and Members of Parliament Act, 1954 and the Ex-MP Identity card in original issued by Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat (affidavit in case the original Identity Card is lost/misplaced);
- (ix) अवयस्क आवेदक के मामले में उम्र का प्रमाण पत्र (नगरपालिका प्राधिकरण या क्षेत्र की स्थानीय पंचायत द्वारा या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रमुख से जारी मूल रूप से यदि बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है तो दो सत्यापित प्रतियों के साथ)
Certificate of age in case of minor applicant (in original issued by the Municipal Authority or the local Panchayat of the area or from the head of a recognised school if the child is studying in such school along with two attested copies)
- (x) उचित न्यायालय द्वारा जारी संरक्षकता प्रमाणपत्र (अवयस्क आवेदक के मामले में)
Guardianship Certificate duly issued by the appropriate court of Law (in case of minor applicant)
- (xi) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित क्षतिपूर्ति बांडा
(पेंशन की गणना के बाद प्रस्तुत किया जाना है)।

**Indemnity Bond duly verified by First Class Magistrate/Second Class Magistrate.
(To be furnished after the pension has been calculated).**

* (प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें विफल रहने पर पारिवारिक पेंशन जारी नहीं की जाएगी या बंद कर दी जाएगी)।

*(To be submitted by 31st March of every year failing which family pension would be discontinued or stopped).

स्थान/Place: पत्नी या पति/आश्रित के हस्ताक्षर या बाएं हाथ/
दाएं हाथ के अंगूठे का निशान
Signature or Left-hand/Right-hand thumb
impression of the Spouse/Dependent
दिनांक/Date: संपर्क/Contact Nos.....(Telephone)
..... (मोबाइल/Mobile)

ईमेल आईडी /Email ID.....

लोकसभा/राज्य सभा सचिवालय में उपयोग के लिए
For the use in the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat

एमएसए शाखा, लोकसभा सचिवालय/MSA Branch, Lok Sabha Secretariat
एमएसए शाखा, राज्य सभा सचिवालय/ MSA Branch, Rajya Sabha Secretariat

अवर सचिव (टेबल ऑफिस), लोकसभा सचिवालय/अवर सचिव (टेबल ऑफिस), राज्य सभा सचिवालय, को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया।

Forwarded to the Under Secretary (Table Office), Lok Sabha Secretariat/ Under Secretary (Table Office), Rajya Sabha Secretariat, for further necessary action.

अवर सचिव/Under Secretary

टेबल ऑफिस, लोकसभा सचिवालय
Table Office, Lok Sabha Secretariat

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी/ डॉ..... निम्नलिखित अवधि के दौरान लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया:

Certified that Shri/Smt./Km./Dr.....(in block letters) served as a
Member of Lok Sabha during the following period:

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

अवर सचिव, लोकसभा सचिवालय
Under Secretary, Lok Sabha Secretariat

टेबल ऑफिस, राज्य सभा सचिवालय
Table Office, Rajya Sabha Secretariat

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी/ डॉ..... निम्नलिखित अवधि के दौरान राज्य सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया:
Certified that Shri/Smt./Km./Dr.....(in block letters) served as a Member of Rajya Sabha during the following period:

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

अवर सचिव, राज्य सभा सचिवालय
Under Secretary, Rajya Sabha Secretariat

एमएसए शाखा, लोकसभा सचिवालय/MSA Branch, Lok Sabha Secretariat
एमएसए शाखा, राज्य सभा सचिवालय/ MSA Branch, Rajya Sabha Secretariat

एमएसए शाखा, लोकसभा सचिवालय/MSA Branch, Lok Sabha Secretariat
एमएसए शाखा, राज्य सभा सचिवालय/ MSA Branch, Rajya Sabha Secretariat

P.F. No. Dated the.....
श्री/श्रीमती/ कुमारी. / डॉ. इस तिथि

से..... पेंशन
..... (रुपये)

..... केवल) प्रति माह के लिए स्वीकृत है।
आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए वेतन एवं लेखा अधिकारी, लोकसभा/राज्य सभा को अग्रेषित किया गया।

A Family Pension of
(Rupees.....only) per mensem is sanctioned to
Shri/Smt./Km./Dr.....with effect from.....

Forwarded to Pay and Accounts Officer, Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat for further necessary action.

हस्ताक्षर/Signature.....
स्वीकृति प्राधिकरण/ Sanction Authority
पद/ Designation

SPECIMEN SIGNATURE

नमूना हस्ताक्षर

(1) Name Ex-MP, Rajya Sabha/LokSabha

(1) नाम पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोकसभा

Signature

हस्ताक्षर

Attested

अनुप्रमाणित

Name and Seal of Attesting Authority

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(2) Name Ex-MP, Rajya Sabha/LokSabha

(2) नाम पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोकसभा

Signature

हस्ताक्षर

Attested

अनुप्रमाणित

Name and Seal of Attesting Authority

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(3) Name Ex-MP, Rajya Sabha/LokSabha

(3) नाम पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोकसभा

Attested

अनुप्रमाणित

Name and Seal of Attesting Authority

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(4) Name Ex-MP, Rajya Sabha/LokSabha

(4) नाम पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोकसभा

Signature

हस्ताक्षर

Attested

अनुप्रमाणित

Name and Seal of Attesting Authority

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

दाहिने हाथ की उंगलियों के निशान

Fingerprint impressions of Right Handश्रीमती/श्री/कुमारी/ डॉ
Smt./Shri/Km/Dr.

.....

पति /पत्नी स्वर्गीय श्री/श्रीमती/ डॉ
Spouse of Late Shri/Smt./Dr.

.....

(Name of deceased member/former member)

(दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य का नाम)

--	--	--	--	--

पहली/तर्जनी उंगली
First/Index fingerमध्यमा उंगली
Second fingerअनामिका उंगली
Ring fingerकनिष्ठा उंगली
Litter fingerअंगूठा
Thumb

द्वारा अनुप्रमाणित.....

ATTESTED BY:.....

अनुप्रमाणन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा
(SIGNATURE AND SEAL OF THE ATTESTING OFFICER/AUTHORITY)

पहचान विवरण
DESCRIPTIVE ROLL

श्रीमती/श्री/कुमारी/ डॉ.....

Smt./Shri/Km /Dr.....

(Name of Applicant)

पति /पत्नी स्वर्गीय श्री/श्रीमती/ डॉ

Spouse Of Late Shri/Smt./Dr.,

(Name of deceased member/former member)

(दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य का नाम)

ऊँचाई: इंच / सेमी.

Height : inches / cms.

व्यक्तिगत पहचान चिह्न, यदि कोई हो

Personal Identification marks, if any : (1)

(2)

द्वारा अनुप्रमाणित.....

ATTESTED BY:.....

अनुप्रमाणन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा
(Signature and Seal of the Attesting Officer/Authority)

शपथ पत्र
Affidavit

मैं, श्रीमती/ श्री/ कुमारी/ डॉ

(आवेदक का नाम)

H/W/o/उत्तराधिकारी/स्वर्गीय श्री/ श्रीमती/ डॉ का आश्रित।

(मृतक पूर्व सांसद का नाम)

का निवासी

(आवेदक का पता) ,

I, Smt./Shri/Km./Dr.

(name of applicant)

H/w/o/heir/dependent of Late Shri/Smt./Dr.

.....

(name of deceased ex-MP)

Resident of

(address of applicant),

सत्यनिष्ठा से निम्नानुसार पुष्टि करते हैं:-

do hereby solemnly affirm as follows:-

- (1) कि मैं स्वर्गीय श्री/ श्रीमती/ डॉ..... (मृतक सांसद/पूर्व सांसद का नाम) का एकमात्र कानूनी जीवनसाथी हूँ;
that I am the only legal spouse of Late Shri/Smt./Dr.....(name of deceased MP/ex-MP);
- (2) कि मैंने अपने पति स्वर्गीय श्री/ श्रीमती/ डॉ (मृतक सांसद/पूर्व सांसद का नाम) के निधन के बाद पुनर्विवाह नहीं किया है; that I have not re-married after the demise of my spouse Late Shri/Smt./Dr.(name of deceased MP/ex-MP);
- (3) कि मैं संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 के तहत न तो कोई अन्य पेंशन प्राप्त कर रहा/ रही हूँ और न ही पाने का हकदार हूँ; that I am neither receiving nor entitled to receive any other pension under the Salary, Allowances and Pension of the Members of Parliament Act, 1954;
- (4) कि मैं पूरी तरह से स्वर्गीय श्री/ श्रीमती/ डॉ (मृतक पूर्व सांसद का नाम) पर निर्भर था/थी; that I was totally dependent on Late Shri /Smt./Dr.(name of deceased ex-MP);
- (5) कि मेरे पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। (और, यदि आवेदक के पास आय का कोई अन्य स्रोत है, तो कृपया हलफनामे में उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करें); that I have no other source of income. (and, if the applicant has any other source of income, then please mention it clearly in the Affidavit);
- (6) मैं लोकसभा/ राज्य सभा सचिवालय को स्वर्गीय श्री/ श्रीमती/ डॉ.....के प्रति सभी बकाया, यदि कोई हो, की वसूली मुझे दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन से के लिए अधिकृत करता/ करती हूँ। (मृतक सांसद/पूर्व सांसद का नाम)। I hereby authorize Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat to recover all the dues, if any, outstanding towards Late Shri/Smt./Dr.....(name of deceased MP/ex-MP) from the family pension considered to be granted to me.

(जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। (tick whichever is applicable)

The facts stated above are true to the best of my knowledge and belief and nothing concealed thereon.

द्वारा पहचाना गया:

(नोटरी का नाम और मुहर)

अभिसाक्षी

Identified by:

(Name and Seal of Notary)

Deponent

[फा. सं. LAFEAS-MSA029/109/2020-O/o Dir (SC)]

य. मो. काण्डपाल, संयुक्त सचिव

LOK SABHA/RAJYA SABHA SECRETARIAT**(Joint Committee of Houses of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th May, 2022

THE PAYMENT OF FAMILY PENSION (SUBMISSION OF DOCUMENTS) RULES, 2021

G.S.R. 349(E).—The following rules which have been made by the Joint Committee constituted under sub-section (1) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), after consultation with the Central Government, in exercise of the powers conferred on it by clauses (ee) and (g) of sub-section (3) of the said section, and have been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required by sub-section (4) of that section, are published for general information:—

THE PAYMENT OF FAMILY PENSION (SUBMISSION OF DOCUMENTS) RULES, 2021

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Payment of Family Pension (Submission of Documents) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954);

(b) “family pension” means the amount payable, if claimed, to the spouse or dependents of a deceased member or ex-member of Parliament under the Act;

(c) “section” means a section of the Act;

(d) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings, respectively assigned to them in the Act.

3. Submission of documents by sitting members.— (1) Sitting members immediately after taking their seat in the respective Houses of Parliament shall also submit the following documents, duly attested by them, to facilitate expeditious processing of family pension cases, as and when applied for, as per the provisions of sub-section (1) of section 8AC:—

(a) four photographs and four specimen signatures or thumb impression of the spouse or dependent, as the case may be, as per the Annexure A to these rules;

(b) details of family members may be given in the proforma annexed as Annexure B to these rules.

(2) Members shall also intimate immediately the Lok Sabha or Rajya Sabha Secretariat, as the case may be, about any change in the status of the person referred to in clause (a) of sub-rule(1).

4. Submission of documents by ex-members.— (1) Ex-members shall, while submitting application for pension, also submit details of family members and dependents in the proforma annexed as Annexure B to these rules along with four photographs and four specimen signatures or thumb impression, duly attested by ex-member himself or herself, of the spouse or dependent, as the case may be, who may be eligible for family pension, if applied for, as per the provisions of sub-section (2) of section 8AC.

(2) The application for pension, four photographs and four specimen signatures or thumb impression referred to in sub-rule (1) shall be submitted in Form A annexed to these rules.

(3) Ex-members shall also intimate immediately the Lok Sabha Secretariat or Rajya Sabha Secretariat, as the case may be, about any change in the status of the person referred to in sub-rule (1).

5. Submission of documents by spouse of member.- (1) The spouse of member shall, while applying for family pension, in addition to Death Certificate issued by the Municipal Authority or the local Panchayat of the area, also submit:-

(a) ex-member's Identity Card (in original) issued by the Lok Sabha or Rajya Sabha Secretariat, as the case may be, and in case the original Identity Card is lost or not found or untraceable, an affidavit shall be submitted by the claimant regarding loss or misplace of Identity Card of ex-member;

(b) affidavit showing reasons for dependency on the sitting member or ex-member;

(c) Indemnity Bond duly certified by First or Second Class Magistrate; and

(d) the marriage certificate and if the same is not available, succession certificate issued by First or Second Class Magistrate, in case of any variation in the information furnished by the sitting member or ex-member, as required under clause (b) of sub-rule (1) of rule 3 or sub-rule (1) of rule 4.

(2) The application for family pension referred to in sub-rule (1) shall be submitted in Form B annexed to these rules.

6. Submission of documents by dependents of member.- (1) Dependent while applying for family pension, in addition to Death Certificate issued by the Municipal Authority or the local Panchayat of the area, shall also submit:-

(a) by the 31st March of every year an affidavit that he or she still continues to be a dependent, failing which their family pension shall be discontinued or stopped;

(b) Succession Certificate issued by First or Second Class Magistrate;

(c) ex-member's Identity Card (in original) issued by the Lok Sabha or Rajya Sabha Secretariat, as the case may be, and in case the original Identity Card is lost or not found or untraceable, an affidavit shall be submitted by the claimant regarding loss or misplace of Identity Card of ex-member; and

(d) Indemnity Bond duly certified by First/Second Class Magistrate.

(2) The application for family pension referred to in sub-rule (1) shall be submitted in Form B annexed to these rules.

अनुलग्नक क
[नियम 3 (1) (ए)]
पति या पत्नी या आश्रितों के नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
Annexure A
[Rule 3 (1) (a)]
Specimen Signature/Thumb Impression of Spouse or dependents

1. नाम/Name.....

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर

Signature of spouse/dependent

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

Tick whichever is applicable)

अंगूठे का निशान /Thumb impression

PHOTO

Attested by MP

2. नाम/Name.....

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर

Signature of spouse/dependent

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

Tick whichever is applicable)

अंगूठे का निशान /Thumb impression

PHOTO

Attested by MP

3. नाम/Name.....

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर

Signature of spouse/dependent

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

Tick whichever is applicable)

अंगूठे का निशान /Thumb impression

PHOTO

Attested by MP

4. नाम/Name.....

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर

Signature of spouse/dependent

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

Tick whichever is applicable)

अंगूठे का निशान /Thumb impression

PHOTO

Attested by MP

अनुलग्नक ख
Annexure B[नियम 3 (1) (बी) और 4(1)]
[Rule 3 (1) (b) and 4(1)]कुटुंब के सदस्यों का विवरण
(दो प्रतियों में भरा जाना है)
Details of Family Members
(to be filled in duplicate)

मैं, श्रीमती/श्री/डॉ. _____,

राज्य सभा/लोक सभा के सदस्य/पूर्व सदस्य एतद्वारा मेरे पति/पत्नी/आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण प्रस्तुत करते हैं जो मेरी मृत्यु

की स्थिति में संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 के संदर्भ में संसदीय कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं:

I, Smt./Shri/Dr. _____,

Member/Ex-Member of Rajya Sabha/Lok Sabha hereby furnish the details of my spouse/dependant family members who are eligible to receive parliamentary family pension in terms of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 in the event of my death:

Sl. No. क्र. सं.	Name and complete address of family members कुटुंब के सदस्यों का नाम और पूरा पता	Relationship with members सदस्यों के साथ संबंध	Date of birth जन्म की तारीख	Whether physically handicapped* क्या शारीरिक रूप से विकलांग*
01.				
02.				
03.				

*If the dependant family member is handicapped/infirm, appropriate medical certificate should be attached.

*यदि कुटुंब का आश्रित सदस्य विकलांग/अशक्त है तो उपयुक्त चिकित्सा प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

इस पर हस्ताक्षर 20 _____ (वर्ष) के _____ (माह) के _____ (दिन) किए।

Signed this _____ (day) of _____ (Month) of 20 _____ (year).

सदस्य/पूर्व सदस्य के हस्ताक्षर
Signature of the Member/Ex-Memberसदस्य/पूर्व सदस्य का नाम:-----
Name of the Member/Ex-Member:_____

पता:/Address:_____

पिन/PIN

फोन/मोबाइल/ Phone/Mobile:_____

ईमेल आईडी:/Email Id-----

Note: All the above information is mandatory.

नोट: उपरोक्त सभी जानकारी अनिवार्य है।

प्रपत्र क
[नियम 4(2) देखें]
Form A
[See rule 4(2)]पेंशन के लिए आवेदन
APPLICATION FOR PENSION(देखें संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 8ए यथासंशोधित)
(See Section 8A of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, as amended)(पूर्व संसद सदस्य द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है)
(to be submitted in duplicate by the Ex-Member of Parliament)

प्रेषक

डॉ./श्रीमती/श्री/ कुमारी.
लोकसभा/राज्य सभा/अनंतिम संसद के पूर्व सदस्य
(यहां पिछली बार सेवित सभा का उल्लेख करें)
.....

From

Dr./Smt/Shri/Km.
Ex-Member of LOK SABHA/RAJYA SABHA/PROVISIONAL PARLIAMENT
(here mention the House last served)

प्रति

महासचिव
राज्य सभा/लोकसभा
संसद भवन,
नई दिल्ली।

To

The Secretary-General
Rajya Sabha /Lok Sabha
Parliament House
New Delhi.

विषय: संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 यथा संशोधित, के तहत पेंशन की मंजूरी,।

Subject: Sanction of Pension under the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 as amended.

महोदय,

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 8क के अनुसार, मैं निम्नलिखित अवधियों के संबंध में पेंशन का हकदार हूँ, जो मेरे द्वारा के सदस्य के रूप में पूरी की गई हैं

Sir,

In terms of Section 8A of the above-mentioned Act, I am entitled to Pension in respect of the following periods served by me as a Member of.....

(i) संविधान की शुरुआत से ठीक पहले भारत के डोमिनियन की संविधान सभा के रूप में कार्य करने वाले निकाय की अनंतिम संसद के सदस्य सदस्यता सहित।

(ii) राज्यों की परिषद (राज्य सभा) के सदस्य

(iii) लोक सभा के सदस्य (लोकसभा)

(i) Member of Provisional Parliament including membership of the body which functioned as Constituent Assembly of the Dominion of India immediately before the commencement of the Constitution. From To

(ii) Member of Council of States (Rajya Sabha)

(iii) Member of House of People (Lok Sabha)

2. अनुरोध है कि कृपया मुझे पेंशन स्वीकृत करने के लिए कदम उठाए जाएं। मैं अपनी पेंशन बैंक (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम)..... शाखा पर..... (बैंक का पता) और मेरा बैंक खाता संख्या है (बैंक का बीएसआर कोड) (आईएफएससी कोड) से आहरित करना चाहता हूँ।

It is requested that steps may kindly be taken to sanction Pension to me. I desire to draw my Pension from Bank (name of any nationalised Bank)..... Branch at..... (Address of Bank) and my Bank Account Number is..... BSR code..... IFSC Code.....

3. मैं इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को एक प्रथम / द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित वर्ग I अधिकारी / संसद के एक मौजूदा सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर संलग्न करता हूँ:

(i) चार नमूना हस्ताक्षर।

(ii) चार पासपोर्ट आकार में नवीनतम फोटोग्राफ (फोटोग्राफ के सामने की ओर अनुप्रमाणन)।

I enclose herewith the following documents duly attested by a Ist Class/ 2nd Class Magistrate, Class I Officer belonging to the Central Government or a State government/a sitting Member of Parliament:

(i) Four specimen signatures.

(ii) Four copies of latest photographs in Passport size (attestation on the front of the Photograph).

3क. मैं इसके साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा विधिवत सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न करता हूँ:-

निर्धारित प्रोफार्मा में के सदस्यों/आश्रितों का विवरण, चार तस्वीरें और चार नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, पति या पत्नी या आश्रित (संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 2 (कक) के अनुसार) के रूप में मामला हो सकता है, जो एमएसए अधिनियम, 1954 की धारा 8कग (2) के प्रावधानों के अनुसार कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो सकता है, यदि आवेदन किया जाता है।

3A. I also enclose herewith the following documents duly attested by the undersigned:-

Details of Family members/Dependents in prescribed proforma, Four photographs and Four specimen signatures or thumb impression, of the spouse or dependent (as per Section 2 (aa) of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954) as the case may be, who may be eligible for family pension, if applied for, as per the provisions of Section 8AC (2) of MSA Act, 1954.

4. मेरा वर्तमान पता

.....

फ़ोन मोबाइल ईमेल आईडी

मेरा स्थायी पता

.....present address

4. My present address is

.....

My permanent address is

.....

Phone no.....Mobile no.....Email ID.....

5. मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ:-

5. I hereby *declare that:-

(i) मैं राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल या किसी भी राज्य क्षेत्र के प्रशासक के निर्वाचित कार्यालय को नहीं संभाल रहा हूँ;

(i) I am not holding the elected office of the President or the Vice-President or the office of the Governor of any State or the Administrator of any Union Territory;

(ii) मैं राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की किसी विधान सभा या किसी राज्य की किसी विधान परिषद का सदस्य नहीं हूँ;

(ii) I am not a member of Rajya Sabha or Lok Sabha or any Legislative Assembly of a State or Union Territory or any Legislative Council of a State;

(iii) मैं केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम के तहत वेतन पर कार्यरत नहीं हूँ या मैं ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकरण से किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं हूँ ;

(iii) I am not employed on a salary under the Central government or any State Government or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any Local Authority or I am not otherwise entitled to any remuneration from such Government or Corporation or Local Authority;

(iv) मैं का पद धारण कर रहा हूँ या के सदस्य या के रूप में कार्यरत हूँ या

मैं और मेरे द्वारा प्राप्त कुल पारिश्रमिक रु. प्रति माह है।

(iv) I am holding the office of or Member of or employed as.....or

in and the total remuneration received by me is Rs. per month.

(v) मैं का पद धारण कर रहा था या का सदस्य था या के रूप में कार्यरत था मैं और मेरे द्वारा प्राप्त कुल पारिश्रमिक रु. प्रति माह था दिनांक से तक (यदि कार्यकाल की समाप्ति और पेंशन के लिए आवेदन जमा करने के बीच अंतर है तो भरा जाना है)

(v) I was holding the office of or Member of or employed as.....in.....and the total remuneration received by me was Rs.....p.m. from the date.....to.....(to be filled up if there is a gap between end of term and submission of application for pension)

(vi) पति / पत्नी/ आश्रित की स्थिति में किसी भी परिवर्तन के मामले में, मैं तुरंत लोकसभा/ राज्य सभा सचिवालय को सूचित करूंगा।

(vi) In case of any change in the status of spouse/dependent, I shall intimate immediately to Lok Sabha/ Rajya Sabha Secretariat.

जो घोषणाएं लागू न हों उन्हें स्याही से काट दिया जाए।

- The declarations which are not applicable may be scored out in ink.

भवदीय,

.....
पूर्व सांसद के हस्ताक्षर

नाम बड़ा अक्षर में:

.....

स्थान:.....

दिनांक:

Yours faithfully,

.....
Signature of Ex-MP

NAME IN BLOCK LETTERS:

.....

STATION:.....

DATE:.....

लोकसभा/राज्य सभा सचिवालय में उपयोग के लिए
For the use in the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat

एमएसए शाखा, लोकसभा सचिवालय/MSA Branch, Lok Sabha Secretariat
एमएसए शाखा, राज्य सभा सचिवालय/ MSA Branch, Rajya Sabha Secretariat

अवर सचिव (टेबल ऑफिस), लोकसभा सचिवालय/अवर सचिव (टेबल ऑफिस, राज्य सभा सचिवालय, को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया।

Forwarded to the Under Secretary (Table Office), Lok Sabha Secretariat/ Under Secretary (Table Office), Rajya Sabha Secretariat, for further necessary action.

अवर सचिव/Under Secretary

टेबल ऑफिस, लोकसभा सचिवालय
Table Office, Lok Sabha Secretariat

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी/ डॉ. निम्नलिखित अवधि के दौरान लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया:

Certified that Shri/Smt./Km/Dr.....(in block letters) served as a Member of Lok Sabha during the following period:

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

अवर सचिव, लोकसभा सचिवालय
 Under Secretary, Lok Sabha Secretariat

टेबल ऑफिस, राज्य सभा सचिवालय
Table Office, Rajya Sabha Secretariat

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी/ डॉ. निम्नलिखित अवधि के दौरान राज्य सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया:

Certified that Shri/Smt./Km/Dr.....(in block letters) served as a Member of Rajya Sabha during the following period:

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

अवर सचिव, राज्य सभा सचिवालय
 Under Secretary, Rajya Sabha Secretariat

एमएसए शाखा, लोकसभा सचिवालय/MSA Branch, Lok Sabha Secretariat
एमएसए शाखा, राज्य सभा सचिवालय/ MSA Branch, Rajya Sabha Secretariat

एमएसए शाखा, लोकसभा सचिवालय/MSA Branch, Lok Sabha Secretariat
एमएसए शाखा, राज्य सभा सचिवालय/ MSA Branch, Rajya Sabha Secretariat

पीएफ सं.....
 P.F No.

दिनांक.....
 Dated the.....

श्री/श्रीमती/कुमारी/ डॉ. इस तिथि से.....
 पेंशन
 (रुपये..... केवल) प्रति माह के लिए स्वीकृत है।
 आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए वेतन एवं लेखा अधिकारी, लोकसभा/राज्य सभा को अग्रेषित किया गया।

A Pension of

(Rupees.....only) per mensem is sanctioned to

Shri/Smt./Km/Dr.....with effect from.....

Forwarded to Pay and Accounts Officer, Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat for further necessary action.

हस्ताक्षर/Signature
स्वीकृति प्राधिकरण/ Sanction Authority
पद/ Designation

नमूना हस्ताक्षर
SPECIMEN SIGNATURE

(1) NAME EX-MP, RAJYA SABHA/LOKSABHA

(1) नाम पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोकसभा

SIGNATURE

हस्ताक्षर

Attested

अनुप्रमाणित

Name and Seal of Attesting Authority

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(2) NAME EX-MP, RAJYA SABHA/LOKSABHA

(2) नाम पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोकसभा

SIGNATURE

हस्ताक्षर

Attested

अनुप्रमाणित

Name and Seal of Attesting Authority

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(3) NAME EX-MP, RAJYA SABHA/LOKSABHA

(3) नाम पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोकसभा

SIGNATURE

हस्ताक्षर

Attested

अनुप्रमाणित

Name and Seal of Attesting Authority

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(4) NAME EX-MP, RAJYA SABHA/LOKSABHA

(4) नाम पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोकसभा

SIGNATURE

हस्ताक्षर

Attested

अनुप्रमाणित

Name and Seal of Attesting Authority

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय में पेंशन के पुनरीक्षण के प्रयोजन से भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा भरा जाने वाला आवेदन/ Application to be filled-in by ex-MP for the purpose of revision of pension in Lok Sabha Secretariat/ Rajya Sabha Secretariat)

प्रेषक/From:.....

.....

.....

(भूतपूर्व संसद सदस्य का नाम और पता/Name and address of ex-MP)

संपर्क सं (मोबाइल सं) और ईमेल आईडी :

Contact No. (Mob. No.) & email I.D.....

प्रति,

उप सचिव (एमएसए),
लोकसभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय,
संसद भवन अनुबंध,
नई दिल्ली-110001

To,

The Deputy Secretary (MSA),
Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat,
Parliament House Annexe,
New Delhi-110001

विषय: पेंशन में संशोधन।

Subject: Revision of Pension.

सर/मैडम,

Sir/Madam,

मैं राज्य सभा/लोकसभा का सदस्य था जो निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था और राज्यसभा/लोकसभा सचिवालय से के माध्यम से पूर्व-सांसद पेंशन स्वीकृत किया गया था..... (बैंक का नाम और पता).....(बैंक का बीएसआर कोड) (आईएफएससी कोड) और मेरा आधार नंबर है और पैन(प्रतियां संलग्न) है। मेरी पेंशन को अब संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 में किए गए नवीनतम संशोधन के अनुसार संशोधित किया जाये।

I was a Member of Rajya Sabha/Lok Sabha representing.....Constituency and was sanctioned ex-MP pension from Rajya Sabha/Lok Sabha Secretariat through (Name and address of Bank).....(BSR Code of the bank)(IFSC Code) and my Aadhar No. is and PAN is(copies enclosed).

My pension may now be revised as per the latest amendment made in the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954.

भवदीय,

(.....)

पूर्व सांसद का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक:.....

स्थान:.....

Yours faithfully,

(.....)

Name and Signature of ex-MP

Date:.....

Place:.....

घोषणा DECLARATION

मैं घोषणा करता हूँ कि

I declare that:

- (i) मैं राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त नहीं हुआ हूँ; या
I am not elected to the office of the President/Vice President or appointed to the office of the Governor of any State or Administrator of any Union Territory; or
- (ii) मैं दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 3 के तहत गठित लोक सभा (लोकसभा) या राज्यों की परिषद (राज्य सभा), किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद या दिल्ली की महानगर परिषद का सदस्य नहीं हूँ, या
I am not a member of House of the People (Lok Sabha) or Council of States (Rajya Sabha), any Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Metropolitan Council of Delhi constituted under Section 3 of Delhi Administration Act, 1966, or
- (iii) मैं केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी भी निगम के तहत वेतन पर कार्यरत नहीं हूँ या मैं ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकारी से किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं हूँ; या
I am not employed on Salary under the Central Government or any State Government or any corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any Local Authority or I am not otherwise entitled to any remuneration from such Government or Corporation or Local Authority; or
- (iv) मुझे केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी स्थानीय प्राधिकरण/निगम से कोई पेंशन नहीं मिल रही है;
I am not in receipt of any pension from Central Government/State Government/any Local Authority/Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government;
- (v) जैसा कि क्रमांक में उल्लेख किया गया है, मैंने कोई कार्यालय नहीं संभाला है। संख्या (i) से (iii) ऊपर, चूंकि मेरी पेंशन पिछली बार संशोधित/स्वीकृत की गई थी
I have not been holding any of the offices, as mentioned in sl. Nos. (i) to (iii) above, since my pension was last revised/sanctioned.

या

OR

(ए) मैं के सदस्य का पद धारण कर रहा/ रही हूँ/था
..... के रूप में कार्यरत हूँ। और मेरे द्वारा प्राप्त कुल
वेतन/पारिश्रमिक रु.....प्रति माह है।

(बी) मुझे प्रति माह पूर्व सांसद पेंशन/पारिवारिक पेंशन/..... से पेंशन आहरण के रूप में रुपये
की प्राप्ति हो रही है।

स्थान _____
दिनांक _____

(_____)

पेंशनभोगी के हस्ताक्षर
नाम (बड़े अक्षर में) _____

पता _____

(a) I am/was holding the office of of Member
of.....or employed
as.....in*.....w.e.f.....
.....and the total salary/remuneration received by me is Rs.....per
month.

(b) I am in receipt of Rs. per month as ex-MP pension/family
pension/.....pension drawing from*.....

(_____)

Pensioner's Signature

Name (in capital letter).....

STATION _____

ADDRESS _____

DATE _____

* यहाँ केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम के कार्यालय के नाम का उल्लेख करें।

*Here mention the name of office of the Central Government/State Government/Local Authority/Corporation owned or controlled by the Central Government or State Government.

[नियम 3 (1) (ए)]

पति या पत्नी या आश्रितों के नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

[Rule 3 (1) (a)]

Specimen Signature/Thumb Impression of Spouse or dependents

1. नाम/Name.....

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर

Signature of spouse/dependent

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

Tick whichever is applicable)

अंगूठे का निशान /Thumb impression

Attested by MP/Ex-MP

PHOTO

2. नाम/Name.....

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर

Signature of spouse/dependent

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

Tick whichever is applicable)

अंगूठे का निशान /Thumb impression

Attested by MP/Ex-MP

PHOTO

3. नाम/Name.....

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर

Signature of spouse/dependent

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

Tick whichever is applicable)

अंगूठे का निशान /Thumb impression

Attested by MP/Ex-MP

PHOTO

4. नाम/Name.....

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर

Signature of spouse/dependent

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

Tick whichever is applicable)

अंगूठे का निशान /Thumb impression

Attested by MP/Ex-MP

PHOTO

प्रपत्र ख

Form B

[See rules 5(2) and 6(2)]

[नियम 5(2) और 6(2) देखें]

लोक सभा/ राज्य सभा सचिवालय

LOK SABHA/ RAJYA SABHA SECRETARIAT

कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन

APPLICATION FOR FAMILY PENSION

(संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 यथासंशोधित की धारा 8कग देखें)

(See Section 8AC of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, as amended)

(दिवंगत संसद -सदस्य/ पूर्व संसद सदस्य* के जीवनसाथी/आश्रित द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है)

(to be submitted in duplicate by the Spouse/Dependant of deceased member of parliament/former member of parliament*)

प्रेषक/From

श्री/श्रीमती/कुमारी/ डॉ./Shri/Smt/ Km./Dr. _____

सेवा मे/ To

महासचिव/The Secretary-General

लोक सभा/ राज्य सभा /Lok Sabha/Rajya Sabha

संसद भवन/Parliament House

नई दिल्ली/New Delhi

विषय: संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन कुटुंब पेंशन की स्वीकृति.

Subject: Sanction of family pension under the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954.

महोदय/Sir,

निवेदन है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी/ डॉ. _____ (मृतक सांसद/पूर्व सांसद

का नाम) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनंतिम संसद/लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य थे:

I am to state that Shri/Smt./Km./Dr. _____ (Name of deceased

MP/Ex-MP) was a member of Provisional Parliament/Lok Sabha/Rajya Sabha as per details furnished below:

Sl. No.	सदस्यता की अवधि Period of membership	निर्वाचन क्षेत्र का नाम Name of Constituency	राज्य State	से From	तक To
(i)	अनंतिम संसद Provisional Parliament				
(ii)	राज्य सभा सदस्य Member of the Council of States (Rajya Sabha)				
(iii)	लोक सभा सदस्य Member of the House of People (Lok Sabha)				

2. जहां दिवंगत सांसद/पूर्व संसद सदस्य अंतिम बार किसके सदस्य थे?

Where the deceased Member of Parliament/former Member of Parliament last served?

.....

(अनंतिम संसद/ लोक सभा/ राज्य सभा/Provisional Parliament/Lok Sabha/Rajya Sabha)

* अनंतिम संसद के पूर्व संसद सदस्य सहित includes ex-Member of Parliament of Provisional Parliament

3. श्री/श्रीमती/ कुमारी/ डॉ. /Shri/Smt./Km./Dr.....

(दिवंगत सांसद/पूर्व संसद सदस्य का नाम /name of deceased member/former member)

दिनांक को निधन हो गया था

had expired on dated.....

(सांसद/पूर्व संसद सदस्य के निधन दिनांक/ Date of death of MP/Ex-MP)

4. मृतक सांसद/पूर्व सांसद के जीवित विधवा/विधुर और बच्चों और आश्रितों का विवरण निम्नानुसार है

The details of surviving widow/widower and children and dependants of the deceased Member of Parliament/ex-Member of Parliament are as under:

क्र. सं. Sl. No.	नाम Name	मृतक संसद सदस्य/पूर्व सांसद के साथ संबंध Relationship with the deceased Member of Parliament/former Member of Parliament	ईस्वी सन् द्वारा जन्म तिथि Date of birth by Christian era
(i)			
(ii)			
(iii)			
(iv)			
(v)			
(vi)			

5. श्री/श्रीमती/ कुमारी/ डॉ.

दिवंगत सांसद/पूर्व संसद सदस्य

Shri/Smt./Km./Dr....., deceased MP/Ex-MP was

मेरे.....

My.....

(कृपया मृतक सांसद/पूर्व सांसद के साथ संबंध का उल्लेख करें और विवाह प्रमाण पत्र या सीजीएचएस कार्ड या मतदाता पहचान पत्र की एक प्रति और/या मृत सांसद/पूर्व सांसद के साथ संबंध के संबंध में जिला अधिकारियों से रिपोर्ट संलग्न करें। यदि कुटुंब के सदस्यों/आश्रितों के विवरण में कोई भिन्नता है तो सदस्य/ पूर्व सदस्य के आश्रित रिपोर्ट संलग्न करें।

Please mention relationship with the deceased MP/ex-MP and also attach a copy of the marriage certificate or CGHS Card or Voter I-Card and/or report from district authorities with regard to the relationship with the deceased MP/ex-MP is to be attached in case of any variation from the details of Family Members/Dependants furnished by the Member/Ex-Member)

श्री/श्रीमती/ कुमारी/ डॉ. का एकमात्र और कानूनी जीवनसाथी/उत्तराधिकारी होने के नाते उनके दुःखद निधन के कारण, मैं संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन की धारा 8एसी के अधीन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार हूँ (जैसा कि 15.9.2006 को संशोधित किया गया)।

Being the only and legal spouse/heir dependant of Shri/Smt./Km./Dr..... after his/her sad demise, I am entitled to receive family pension under section 8AC of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament, 1954 (as amended on 15.9.2006).

6. आश्रित के अवयस्क होने की दशा में

In case of minor dependent:

(a) अभिभावक का नाम

name of the guardian:

(b) अभिभावक की जन्म तिथि

date of birth of the guardian:.....

(c) दिवंगत सांसद/पूर्व सांसद के साथ संबंध

relationship with the deceased MP/Ex-MP:.....

(उचित न्यायालय द्वारा जारी संरक्षकता प्रमाणपत्र और क्षतिपूर्ति बांड संलग्न करें/

Attach Guardianship Certificate and Indemnity Bond duly issued by the appropriate court of Law)

7. यदि आवेदक विधवा/विधुर है तो पति/पत्नी की मृत्यु की तिथि से प्रदत्त सेवा पेंशन की राशि ।

If the applicant is a widow/widower, Whether she/he is in receipt of any other pension/family pension on the date of death of the husband /wife and if so, the details thereof.

8. आवेदक का स्थायी पता

Permanent Address of the applicant:

(निवास का प्रमाण संलग्न करें

Attach proof of residence)

.....

9. संपर्क के लिए पता:

Address for Communication

.....

(राज्य और पिन कोड सहित

.....

including state and Pin code)

.....

.....

10. अनुरोध है कि कृपया मुझे पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के लिए कदम उठाने की कृपा करें। मैं अपनी पेंशन

..... से आहरित करना चाहता हूँ।

..... बैंक (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम और पता)। मेरा बैंक खाता संख्या बीएसआर कोड..... आईएफएससी कोड..... है।

It is requested that steps may kindly be taken to sanction family pension to me. I would like to draw my pension from

..... Bank (name and address of any nationalised Bank). My Bank Account No. is BSR Code.....IFSC Code.....

11. मैं एतद्वारा *घोषणा करता हूँ कि

I hereby *declare that:-

(i) मैं मृतक संसद सदस्य/पूर्व संसद सदस्य का एकमात्र और कानूनी जीवनसाथी हूँ। इस आशय का एक हलफनामा और मृतक सांसद/पूर्व सांसद के साथ विवाह का प्रमाण संलग्न है

I am the only and legal spouse of the deceased Member of Parliament/former Member of Parliament. An affidavit to this effect and proof of marriage with the deceased MP/Ex-MP is enclosed.

(ii) श्री/श्रीमती/ कुमारी/ डॉ. का जीवनसाथी जीवित नहीं है और मैं मृतक सांसद/पूर्व सांसद का पूर्ण/आंशिक रूप से आश्रित हूँ।

The spouse of Shri/Smt./Km/Dr..... is not alive and I am wholly/partly dependant of the deceased MP/Ex-MP.

(iii) मैं न तो वर्तमान संसद सदस्य हूँ और न ही पूर्व संसद सदस्य के रूप में पेंशन प्राप्त कर रहा हूँ।

I am neither a sitting Member of Parliament nor drawing pension as a former Member of Parliament.

(iv) मैं संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम के अधीन न तो आहरण कर रहा हूँ और न ही कोई अन्य पेंशन लेने का हकदार हूँ।

I am neither drawing nor entitled to draw any other pension under the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act.

जो लागू न हो उसे काट दें Strike out whichever is not applicable .

12. मैं एतद्वारा निम्नलिखित दस्तावेज अग्रेषित कर रहा हूँ:-

I forward herewith the following documents:

- (i) नगरपालिका प्राधिकरण या क्षेत्र की स्थानीय पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र;
Death Certificate issued by the Municipal Authority or the local Panchayat of the area;
- (ii) मृतक सांसद/पूर्व सांसद के साथ संबंध का प्रमाण और सांसद/पूर्व सांसद पर निर्भरता के कारणों को दर्शाने वाला हलफनामा; विवाह प्रमाण पत्र और यदि उपलब्ध नहीं है, तो प्रथम/द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र; और लोक सभा सचिवालय द्वारा जारी पूर्व-सांसद पहचान पत्र (मूल रूप में) (हलफनामा, मूल पहचान पत्र खो जाने / गुम होने की स्थिति में)।
Affidavit showing reasons of dependency on the MP/Ex-MP in case of any variation from the detail of family members/dependents furnished by the Member/Ex-Member; proof of relationship with the deceased MP/Ex-MP, the marriage certificate and if not available, succession certificate issued by first/second class Magistrate; and Ex-MP Identity card (in original) issued by Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat (affidavit, in case the original Identity Card is lost/misplaced).
- (iii) चार नमूना हस्ताक्षर; (प्रथम श्रेणी / द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य द्वारा विधिवत सत्यापित आवेदन पत्र के साथ संलग्न शीट पर प्रस्तुत किया जाना है)
Four specimen signatures (to be furnished on the sheets attached with the application form duly attested by a First Class /Second Class Magistrate or a 1st class Gazetted Officer or a Member of Parliament)
- (iv) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य द्वारा विधिवत सत्यापित निवास का प्रमाण (राशन कार्ड / चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / नवीनतम बिजली बिल / टेलीफोन बिल);
Proof of residence duly attested by a First Class Magistrate/Second Class Magistrate or a 1st class Gazetted Officer or a Member of Parliament (Ration Card/Voter Identity Card issued by Election Commission/ Passport/ Driving License/latest Electricity Bill/ Telephone Bill)
- (v) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/ द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य द्वारा सत्यापित आवेदक के पासपोर्ट आकार के फोटो की चार प्रतियां;
Four copies of passport size photograph of the applicant attested by a First Class /Second Class Magistrate or a 1st class Gazetted Officer or a Member of Parliament;
- (vi) आवेदक के बाएं या दाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों के निशान वाली दो पर्चियां प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/ द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य द्वारा सत्यापित;
Two slips each bearing left or right hand thumb and finger impressions of the applicant attested by a First Class Magistrate/Second Class Magistrate or a 1st class Gazetted Officer or a Member of Parliament;
- (vii) आवेदक का विवरणात्मक रोल, विधिवत सत्यापित, (ए) ऊंचाई और (बी) व्यक्तिगत अंक, यदि कोई हो, हाथ, चेहरे, आदि पर इंगित करता है। (डुप्लिकेट में) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/ द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य द्वारा सत्यापित;
(कुछ विशिष्ट चिह्न निर्दिष्ट करें, दो से कम नहीं)
Descriptive Roll of the applicant, duly attested, indicating (a) height and (b) personal marks, if any, on the hand, face, etc. (in duplicate) attested by a First Class /Second Class Magistrate or a 1st class Gazetted Officer or a Member of Parliament;
(Specify a few conspicuous marks, not less than two)
- (viii) यदि आश्रित है तो वेतन, भत्ते और संसद अधिनियम, 1954 की धारा 2 के खंड (एए) के अर्थ के भीतर निर्भरता दिखाने के लिए एक हलफनामा * प्रस्तुत किया जाना है और लोक सभा/ राज्य सभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए पूर्व सांसद का पहचान पत्र (मूल पहचान पत्र खो जाने / गुम हो जाने की स्थिति में हलफनामा)
An affidavit* in case of dependent is to be submitted to show the dependency within the meaning of clause (aa) of Section 2 of the Salary, Allowances and Members of Parliament Act, 1954 and the Ex-MP Identity card in original issued by Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat (affidavit in case the original Identity Card is lost/misplaced);
- (ix) अवयस्क आवेदक के मामले में उम्र का प्रमाण पत्र (नगरपालिका प्राधिकरण या क्षेत्र की स्थानीय पंचायत द्वारा या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रमुख से जारी मूल रूप से यदि बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है तो दो सत्यापित प्रतियों के साथ)
Certificate of age in case of minor applicant (in original issued by the Municipal Authority or the local Panchayat of the area or from the head of a recognised school if the child is studying in such school along with two attested copies)
- (x) उचित न्यायालय द्वारा जारी संरक्षकता प्रमाणपत्र (अवयस्क आवेदक के मामले में)
Guardianship Certificate duly issued by the appropriate court of Law (in case of minor applicant)
- (xi) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित क्षतिपूर्ति बांडा
(पेंशन की गणना के बाद प्रस्तुत किया जाना है)।

**Indemnity Bond duly verified by First Class Magistrate/Second Class Magistrate.
(To be furnished after the pension has been calculated).**

* (प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें विफल रहने पर पारिवारिक पेंशन जारी नहीं की जाएगी या बंद कर दी जाएगी)।

*(To be submitted by 31st March of every year failing which family pension would be discontinued or stopped).

स्थान/Place: पत्नी या पति/आश्रित के हस्ताक्षर या बाएं हाथ/
दाएं हाथ के अंगूठे का निशान
Signature or Left-hand/Right-hand thumb
impression of the Spouse/Dependent
दिनांक/Date: संपर्क/Contact Nos.....(Telephone)
..... (मोबाइल/Mobile)

ईमेल आईडी /Email ID.....

लोकसभा/राज्य सभा सचिवालय में उपयोग के लिए
For the use in the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat

एमएसए शाखा, लोकसभा सचिवालय/MSA Branch, Lok Sabha Secretariat
एमएसए शाखा, राज्य सभा सचिवालय/ MSA Branch, Rajya Sabha Secretariat

अवर सचिव (टेबल ऑफिस), लोकसभा सचिवालय/अवर सचिव (टेबल ऑफिस), राज्य सभा सचिवालय, को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया।

Forwarded to the Under Secretary (Table Office), Lok Sabha Secretariat/ Under Secretary (Table Office), Rajya Sabha Secretariat, for further necessary action.

अवर सचिव/Under Secretary

टेबल ऑफिस, लोकसभा सचिवालय
Table Office, Lok Sabha Secretariat

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी/ डॉ..... निम्नलिखित अवधि के दौरान लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया:

Certified that Shri/Smt./Km./Dr.....(in block letters) served as a
Member of Lok Sabha during the following period:

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

अवर सचिव, लोकसभा सचिवालय
Under Secretary, Lok Sabha Secretariat

टेबल ऑफिस, राज्य सभा सचिवालय
Table Office, Rajya Sabha Secretariat

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी/ डॉ..... निम्नलिखित अवधि के दौरान राज्य सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया:

Certified that Shri/Smt./Km./Dr.....(in block letters) served as a Member of Rajya Sabha during the following period:

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

From से.....to तक.....

अवर सचिव, राज्य सभा सचिवालय
Under Secretary, Rajya Sabha Secretariat

एमएसए शाखा, लोकसभा सचिवालय/MSA Branch, Lok Sabha Secretariat
एमएसए शाखा, राज्य सभा सचिवालय/ MSA Branch, Rajya Sabha Secretariat

एमएसए शाखा, लोकसभा सचिवालय/MSA Branch, Lok Sabha Secretariat
एमएसए शाखा, राज्य सभा सचिवालय/ MSA Branch, Rajya Sabha Secretariat

P.F. No.

Dated the.....

श्री/श्रीमती/ कुमारी. / डॉ..... इस तिथि

से..... पेंशन

..... (रुपये)

..... केवल) प्रति माह के लिए स्वीकृत है।

आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए वेतन एवं लेखा अधिकारी, लोकसभा/राज्य सभा को अग्रेषित किया गया।

A Family Pension of

(Rupees.....only) per mensem is sanctioned to

Shri/Smt./Km./Dr.....with effect from.....

Forwarded to Pay and Accounts Officer, Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat for further necessary action.

हस्ताक्षर/Signature.....

स्वीकृति प्राधिकरण/ Sanction Authority

पद/ Designation

SPECIMEN SIGNATURE

नमूना हस्ताक्षर

(1) Name Ex-MP, Rajya Sabha/Lok Sabha

(1) नाम पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोकसभा

Signature

हस्ताक्षर

Attested

अनुप्रमाणित

Name and Seal of Attesting Authority

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(2) Name Ex-MP, Rajya Sabha/Lok Sabha

(2) नाम पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोकसभा

Signature

हस्ताक्षर

Attested

अनुप्रमाणित

Name and Seal of Attesting Authority

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(3) Name Ex-MP, Rajya Sabha/Lok Sabha

(3) नाम पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोकसभा

Signature

हस्ताक्षर

Attested

अनुप्रमाणित

Name and Seal of Attesting Authority

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(4) Name Ex-MP, Rajya Sabha/Lok Sabha

(4) नाम पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोकसभा

Signature

हस्ताक्षर

Attested

अनुप्रमाणित

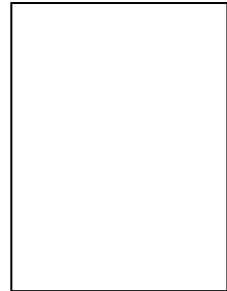
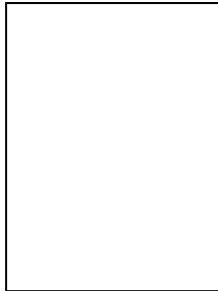
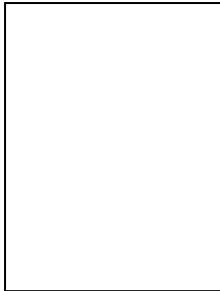
Name and Seal of Attesting Authority

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

दाहिने हाथ की उंगलियों के निशान

Fingerprint impressions of Right Handश्रीमती/श्री/कुमारी/ डॉ
Smt./Shri/Km/Dr. पति /पत्नी स्वर्गीय श्री/श्रीमती/ डॉ
Spouse of Late Shri/Smt./Dr.**(Name of deceased member/former member)**

(दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य का नाम)

पहली/तर्जनी उंगली
First/Index fingerमध्यमा उंगली
Second fingerअनामिका उंगली
Ring fingerकनिष्ठा उंगली
Little fingerअंगूठा
Thumb

द्वारा अनुप्रमाणित.....

ATTESTED BY:.....

अनुप्रमाणन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा
(SIGNATURE AND SEAL OF THE ATTESTING OFFICER/AUTHORITY)पहचान विवरण
DESCRIPTIVE ROLLश्रीमती/श्री/कुमारी/ डॉ.....
Smt./Shri/Km /Dr.....

(Name of Applicant)

पति /पत्नी स्वर्गीय श्री/श्रीमती/ डॉ
Spouse Of Late Shri/Smt./Dr.**(Name of deceased member/former member)**

(दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य का नाम)

ऊँचाई: इंच / सेमी.

Height : inches / cms.

व्यक्तिगत पहचान चिह्न, यदि कोई हो

Personal Identification marks, if any : (1)

(2)

द्वारा अनुप्रमाणित.....

ATTESTED BY:.....

अनुप्रमाणन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा
(Signature and Seal of the Attesting Officer/Authority)

शपथ पत्र

Affidavit

मैं, श्रीमती/ श्री/ कुमारी/ डॉ (आवेदक का नाम)

(आवेदक का नाम)

H/W/o/उत्तराधिकारी/स्वर्गीय श्री/ श्रीमती/ डॉ का आश्रित।

(मृतक पूर्व सांसद का नाम)

का निवासी (आवेदक का पता),

(आवेदक का पता),

I, Smt./Shri/Km./Dr.

(name of applicant)

H/w/o/heir/dependent of Late Shri/Smt./Dr.

.....

(name of deceased ex-MP)

Resident of

(address of applicant),

सत्यनिष्ठा से निम्नानुसार पुष्टि करते हैं:-

do hereby solemnly affirm as follows:-

(1) कि मैं स्वर्गीय श्री/ श्रीमती/ डॉ..... (मृतक सांसद/पूर्व सांसद का नाम) का एकमात्र कानूनी जीवनसाथी हूँ;

that I am the only legal spouse of Late Shri/Smt./Dr.....(name of deceased MP/ex-MP);

(2) कि मैंने अपने पति स्वर्गीय श्री/ श्रीमती/ डॉ (मृतक सांसद/पूर्व सांसद का नाम) के निधन के बाद पुनर्विवाह नहीं किया है; that I have not re-married after the demise of my spouse Late Shri/Smt./Dr.(name of deceased MP/ex-MP);

(3) कि मैं सांसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 के तहत न तो कोई अन्य पेंशन प्राप्त कर रहा/ रही हूँ और न ही पाने का हकदार हूँ; that I am neither receiving nor entitled to receive any other pension under the Salary, Allowances and Pension of the Members of Parliament Act, 1954;

(4) कि मैं पूरी तरह से स्वर्गीय श्री/ श्रीमती/ डॉ (मृतक पूर्व सांसद का नाम) पर निर्भर था/थी; that I was totally dependent on Late Shri /Smt./Dr.(name of deceased ex-MP);

(5) कि मेरे पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। (और, यदि आवेदक के पास आय का कोई अन्य स्रोत है, तो कृपया हलफनामे में उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करें); that I have no other source of income. (and, if the applicant has any other source of income, then please mention it clearly in the Affidavit);

(6) मैं लोकसभा/ राज्य सभा सचिवालय को स्वर्गीय श्री/ श्रीमती/ डॉ.....के प्रति सभी बकाया, यदि कोई हो, की वसूली मुझे दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन से के लिए अधिकृत करता/ करती हूँ। (मृतक सांसद/पूर्व सांसद का नाम)। I hereby authorize Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat to recover all the dues, if any, outstanding towards Late Shri/Smt/Dr.....(name of deceased MP/ex-MP) from the family pension considered to be granted to me.

(जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। (tick whichever is applicable)

The facts stated above are true to the best of my knowledge and belief and nothing concealed thereon.

द्वारा पहचाना गया:

(नोटरी का नाम और मुहर)

Identified by:

(Name and Seal of Notary)

अभिसाक्षी

Deponent

[F. No. LAFEAS-MSA029/109/2020-O/o Dir (SC)]

Y. M. KANDPAL, Jt. Secy.